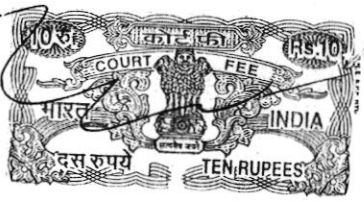

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(131)

समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

निगरानी-3729/2018/राजगढ़/अ.क्र.

(175)

प्र.क्र. निगरानी– / /2018 राजगढ

1. विजयसिहं आ0 श्री भूरसिहं
2. रघुवीरसिहं आ0 श्री विजयसिहं
3. कमलसिहं आ0 श्री विजय सिहं
4. दिलीपसिहं आ0 श्री विजयसिहं
5. रोडसिहं आ0 श्री बीरमलाल

निवासीगण ग्राम देवलीखुर्द तहसील एवं जिला राजगढ म0प्र0 ....आवेदकगण

अभिभावक श्री............ द्वारा आज दिनांक 21/5/18 को पेश। अभिभावक

विरूद्ध

विक्रमसिहं आ0 श्री करनसिहं ग्राम देवलीखुर्द तहसील एवं जिला राजगढ म0प्र0 हालमुकाम ग्राम रासी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

प्रमुख कार्यालय से प्राप्त। 13/6/18

माननीय महोदय,

आवेदकगण कि ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी राजगढ जिला राजगढ द्वारा उनके प्रकरण क्र. 31/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30/08/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक क0 1 ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम देवनखेडी तहसील एवं जिला राजगढ स्थित भूमि सर्वे क0 128, 149, 150, 179, 180, 181, 187 एवं खसरा क0 196 रकबा 4.33 हेक्टयर भूमि पर पर आवेदक का वर्ष 68–69 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । इसलिये उक्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जावे । आवेदक क0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज करते हुए अनावेदक को सूचना पत्र भेजा गया । परन्तु सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त भी अनावेदक अपने पक्ष समर्थन हेतु अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण क0 22/ए–6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 26/03/92 के द्वारा उक्त भूमि पर आवेदक क0 1 का नाम दर्ज करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा 27–28 वर्ष उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत कि गयी । अपील के साथ अनावेदक द्वारा विलम्ब परिमार्जन हेतु धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभिन्न आपत्ति उठाते हुए धारा 5

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–3729/2018/राजगढ/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.08.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजगढ जिला राजगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 123/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.3.18 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदक क0 1 ने अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम देवनखेडी तहसील एवं जिला राजगढ स्थित भूमि सर्वे क0 128, 149, 150, 179, 180, 181, 187 एवं खसरा क0 196 रकवा 4.68 है0 भूमि पर आवेदक का वर्ष 68–69 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसलिये उक्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जावे। आवेदक क0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज करते हुए अनावेदक को सूचना पत्र भेजा गया। परन्तु सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अनावेदक अपने पक्ष समर्थन हेतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण क0 22/ए–6/91–92 में पारित आदेश दिनांक	

26/08/92 के द्वारा उक्त भूमि पर आवेदक क0 1 का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा 27–28 वर्ष उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी। अपील के साथ अनावेदक द्वारा विलंब धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभिन्न आपत्ति उठाते हुए धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय आवेदकगण द्वारा उठाई गयी आपत्ति एवं तहसील न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर नियमानुसार विचार किये बिना ही धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने के आदेश दिये। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी राजगढ जिला राजगढ द्वारा विस्तार पूर्वक धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है। जबकि आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो के निगरानी के आधार कमांक 7 में आवेदक द्वारा यह आपत्ति उठाई है कि आपत्ति के निराकरण के बिना ही विवादित आदेश पारित किया है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आदेश

विस्तार पूर्वक किया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा निगरानी के आधार क्र. 7 में उठाई गयी आपत्ति निराधार होने से मानने योग्य नहीं है।

4– उपरोक्त विवेचना के अधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजगढ जिला राजगढ द्वारा प्रकरण कमांक 123/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.3.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राहय की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य